

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर
राजस्व प्रकरण संख्या 25/19. अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल
राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हल्का गिराब

बनाम

श्री शशिधर पुत्र चमनसिंह
जाति राजपूत निवासी कुवड़िया
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।


निर्णय

पत्रावली आज वमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम कुवड़िया के खस्ता नम्बर 105 ... रकबा 103.05 बीघा में से 90 बीघा किस्त क्र. 10 राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विलुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदना दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।


अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर 42219 रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गिराब को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे । पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को मौतिक रूप से वेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 15.10.19 को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडरारोड

जुमाना... 50/- फसल नि. 2250/-
कुल योग 2300/- ज.के पृष्ठ सं. 33
दिनांक 24.9.20 ... में इन्द्राज किया गया :


तहसीलदार गडरारोड